

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी-डॉ एस.पी.सिंह (आईओएसओ)

प्रकरण संख्या- 48/2017

बउनवान

राजू पुत्र मोतीलाल आयु-38 वर्ष, जाति-कुम्हार निवासी-कलमण्डा तहसील-बारां जिला-बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

- उपस्थिति :-
1. श्री महेशप्रकाश गौतम, अभिभाषक
 2. परोकार सरकार

(अपीलांट)

(रेस्पोंडेंट)



निर्णय दिनांक- 24.09.2018

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 27.04.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम-कलमण्डा, तहसील-बारां की आराजी खसरा नम्बर 1515 रकबा 0.06 हैक्टर, किस्म बाराणी पर ईट भट्टा लगाकर अकृषि कार्य करने के लिये पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर, उक्त आराजी से बेदखल कर, 1125/-रूपये अर्थदण्ड, ईट भट्टा जप्ती, नीलामी एवं 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। विवादित आराजी श्री बजरंगलाल बहद गंगाराम कोली नि. कलमण्डा की खातेदारी की भूमि है जिसपर नियमानुसार ईट भट्टा स्थापित किया गया था, जो अनुज्ञप्त किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय आदेश पारित किया है अपीलांट को सुनवायी का समुचित अवसर नहीं दिया गया है निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 27.04.2016 निरस्त फरमाया जावे।



दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक और परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को किसी प्रकार को कोई नोटिस जारी नहीं किया अधीनस्थ न्यायालय ने बिना प्रोपर तामील कराये अपीलांट को सुनवाई व निर्णय दिये बगैर विधि विरुद्ध तरीके से एकतरफा आदेश पारित किया है। अपीलांट ने खाते की आराजी पर ईट भट्टा संचालन किया हुआ है जिसमें कुछ आराजी संचालन में जानकारी पर उक्त आराजी से पूर्व से ईट भट्टा लगा लिया है। वर्तमान में कोई अतिक्रमी नहीं है, भूमि खाली पडी हुई है। अब अपीलांट अपील खातेदारी आराजी की जानकारी को जानकारी हो चुकी है इसलिये विवादित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आराजी पर कभी भी स्वयं अथवा अन्य के माध्यम से उक्त आराजी पर अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध रहेगा। अपीलांट उक्त आराजी पर पश्चात्कर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्कर्ती अतिक्रमण बाबत कोई साक्ष्य व दस्तावेजात् व बेदखलीनामा नहीं है। विधि का सिद्धान्त है कि यदि पश्चात्कर्ती अतिक्रमी है तो घटनाबर्ही, बेदखलीनामा, साक्ष्य, बयान व पूर्व निर्णय की प्रति पत्रावली शामिल करना अनिवार्य है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्कर्ती बाबत कोई दस्तावेजात् नहीं है। विवादित आराजी पर अपीलांट का अतिक्रमण नहीं है। न्यायहित में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.04.2016 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी कर, सुनवाई व जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट ने खाते व राजकीय भूमि पर बिना स्वीकृति के ईट भट्टा लगा कर अतिक्रमण किया हुआ है तथा अपीलांट को पूर्व में भी अतिक्रमण करने पर बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्कर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क रहा है कि अपीलांट पश्चात्कर्ती अतिक्रमी नहीं है तथा जानकारी होने पर उसने अतिक्रमण व ईट भट्टा हटा लिया है। इसके विपरीत परोकार सरकार का कथन रहा है कि अपीलांट पश्चात्कर्ती अतिक्रमी रहा है। उपरोक्त परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन व विवेचित तथ्यों पर मनन करने से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिया है। किन्तु अपीलांट के कथन से हम सहमत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चात्कर्ती अतिक्रमी सिद्ध करने से पूर्व पत्रावली पर पश्चात्कर्ती बाबत रेकार्ड को पत्रावली पर नहीं लिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेजात् को पत्रावली में शामिल नहीं कर विधिक भूल की है। चूकि अपीलांट का कथन है कि उसने उक्त आराजी से ईट भट्टा हटा लिया है तथा भविष्य में कभी अतिचार नहीं करेगा।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 487/2016 में पारित आदेश दिनांक 27.04.2016 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है। अपीलांट, जप्ती एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2018 को सरे इजलास में सुनाया गया।

